(आयोग की वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर दिनांक 25.06.2026 को अपलोड किए जाने हेतु)

भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक सं-12, केंद्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली -110003.

Government of India,
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions,
Department of Personnel and Training,
Staff Selection Commission,
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110003.

विज्ञप्ति

सहायक अनुभाग अधिकारी/ सहायक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2025

ऑनलाईन आवेदन जमा करने की तिथि	**25.06.2026 से 16.07.2026 तक**
ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	**16.07.2026 (2300 बजे)**
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन	**अगस्त, 2026**

सं. 4/2/2026-गो.-5: कर्मचारी चयन आयोग सहायक अनुभाग अधिकारी/ सहायक ग्रेड [वेतन स्तर-7 समूह 'ख' अराजपत्रित (रु 44,900 - रु 1,42,900) की चयन सूची में परिवर्धन करने के लिए संभावित रूप से माह अगस्त, 2026 में, केवल दिल्ली एनसीआर में, निम्नलिखित सेवाओं/ संवर्गों (रिक्तियों के उपलब्ध होने के अध्यधीन) के लिए एक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करेगा।

क्र.सं.	**सेवा/ संवर्ग का नाम**
1	**केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)**
2	**विदेश मंत्रालय (संवर्ग सेल)**

2. **रिक्तियां :** उपर्युक्त संवर्गों/ सेवाओं के संबंध में भर्ती वर्ष 2025 के लिए संभावित रिक्तियों का विवरण, जैसा कि उनकी संबंधित सेवा/ संवर्ग प्राधिकारियों (सीसीए) द्वारा रिपोर्ट किया गया है, इस प्रकार है:-

क्र.सं.	**सेवा/ संवर्ग का नाम**	**अना**	**अजा**	**अजजा**	**योग**	**बे.दि.**
1.	केंद्रीय सचिवालय सेवा, डीओपीटी	189	71	58	**318**	19*
2.	विदेश मंत्रालय (संवर्ग सेल)	23	**-**	**-**	**23**	**-**

* 6-दृ.दि., 4-अ.दि., 4-श्र.दि., 5-अन्य

3. आयोग परीक्षा-स्थल (स्थलों), केंद्र (केंद्रों), तिथि और समय को अपने विवेकानुसार बदल सकता है। यदि परिस्थितिवश आवश्यक हो तो आयोग किसी अभ्यर्थी को एक अलग केंद्र आवंटित कर सकता है। परीक्षा के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव, यदि कोई हो, तो उसे क.च.आ.-मु. (https://ssc.gov.in) / क.च.आ.-उ.क्षे. (https://sscnr.nic.in) की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

टिप्पणी-I:- अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में केंद्र परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी -II: -यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश प्रमाणपत्र में आयोग द्वारा निर्दिष्ट केंद्र के अलावा किसी अन्य केंद्र पर परीक्षा में उपस्थित होता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

4. अनुसूचित जाति(अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) और बेंचमार्क दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) अभ्यर्थियों के लिए पदों का आरक्षण सेवा/ संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों (सीसीए) द्वारा रिपोर्ट की गई संबंधित श्रेणियों में रिक्ति स्थिति के अनुसार होगा।

5. इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करने के इच्छुक सभी अभ्यर्थी, जिन्होंने नई वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर अपना एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) नहीं किया है, उन्हें पंजीकरण करना होगा क्योंकि पुरानी वेबसाइट (https://ssc.nic.in) पर बनाया गया ओटीआर नई वेबसाइट पर मान्य नहीं होगा। ओटीआर पंजीकरण के बाद, अभ्यर्थी परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भर सकते हैं। नई वेबसाइट पर ओटीआर बन जाने के बाद, यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मान्य रहेगा।

6. परीक्षा में प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट अर्थात् https://ssc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित किया गया है :-

i. एक बारगी पंजीकरण
ii. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना।

7. अभ्यर्थियों को इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में केवल एक आवेदन पत्र जमा करना चाहिए। एक से अधिक आवेदन जमा करने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

8. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ओटीआर प्रक्रिया को पूरा करते समय, आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीतियों के अनुसार आधार-आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें।

9. ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, उसकी प्रिंट प्रति आवश्यक दस्तावेजों के साथ, जो सभी प्रकार से पूर्ण हो, "अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश" **(अनुबंध-I)** के अनुसार उनकी संबंधित सेवा/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से **"क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग (उत्तरी क्षेत्र), ब्लॉक नंबर 12, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003" को अग्रेषित की जानी चाहिए जो दिनांक 23.07.2026 (1800 बजे) तक पहुंच जाए।**

10. विदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में रहने वाले अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति आवश्यक दस्तावेजों के साथ, जो सभी प्रकार से पूर्ण हो, "अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश" **(अनुबंध- I)** के अनुसार उनके संबंधित सेवा/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से **"क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग (उत्तरी क्षेत्र), ब्लॉक नंबर 12, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003" को अग्रेषित किया जाना चाहिए जो दिनांक 30.07.2026 (1800 बजे) तक पहुंच जाए।**

टिप्पणी-I :- केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए इस परीक्षा में प्रवेश हेतु विचार किया जाएगा जिनके आवेदन उनके विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख द्वारा अग्रेषित किया गया हो। इसके अतिरिक्त, वे यह भी ध्यान रखें कि आयोग उनके आवेदन प्राप्त न होने या आवेदन देरी से प्राप्त होने की दशा में किसी भी प्रकार जिम्मेदार नहीं होगा। आयोग में उचित माध्यम से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त आवेदन (आवेदनों) को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को, उनके हित में, यह सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके आवेदनों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित और पृष्ठांकित कर उनके विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख द्वारा इस प्रकार से अग्रेषित किया गया है कि उनके आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि और समय से काफी पहले पहुंच जाएं।

टिप्पणी-II:- आवेदकों के विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख को सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र इस प्रकार अग्रेषित करना होगा कि वे निर्धारित तिथि और समय तक कर्मचारी चयन आयोग के उपरोक्त क्षेत्रीय कार्यालय में पहुंच जाएं।

टिप्पणी-III:- अभ्यर्थी(अभ्यर्थियों) के आवेदन (आवेदनों) को अग्रेषित करते समय, **संबंधित प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी(अभ्यर्थियों) की मूल सेवा/संवर्ग इस परीक्षा के अंतर्गत भाग लेने वाली सेवा (सेवाओं)/ संवर्ग (संवर्गों) में से एक है और अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्रता शर्तों को पूरा कर रहा है।**

11. इस परीक्षा से संबंधित सभी पत्राचार **क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग (उत्तरी क्षेत्र), ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003** को संबोधित किए जाने चाहिए और उनमें निम्नलिखित विवरण होने चाहिए: -

- क. परीक्षा का नाम और वर्ष
- ख. अभ्यर्थी का नाम (पूर्ण और बड़े अक्षरों में)
- ग. अभ्यर्थी के पिता/ पति का नाम
- घ. रोल नंबर या जन्म तिथि (यदि अभ्यर्थी को रोल नंबर प्राप्त नहीं हुआ है)
- ङ. डाक पता जैसा कि आवेदन में दिया गया है।

12. उपरोक्त पैरा 11 में यथा-वर्णित विवरण से रहित पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। इस परीक्षा से संबंधित कर्मचारी चयन आयोग के साथ सभी पत्राचार में, अभ्यर्थियों को अपने लिफाफों पर ऊपर निरपवाद रूप से शब्दों व अंकों में **"सहायक अनुभाग अधिकारी/ सहायक ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2025"** अवश्य लिखना चाहिए।

अवर सचिव
कर्मचारी चयन आयोग (मु.)

<u>अनुबंध-I</u>

<u>अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश</u>

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता संबंधी सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों जैसे; कंप्यूटर आधारित परीक्षा और सेवा अभिलेख के मूल्यांकन के लिए उन्हें आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम होगा जो कि निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन होगा । यदि सत्यापन के दौरान, कंप्यूटर आधारित परीक्षा और सेवा अभिलेख के मूल्यांकन से पहले या बाद में, यह पाया जाता है कि वे पात्रता संबंधी शर्तों में से किसी को पूरा नहीं करते हैं, तो परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

2. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पहले, अभ्यर्थियों को परीक्षा की विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आवेदन किए गए पद के लिए पात्रता संबंधी सभी शर्तों को पूरा करते हैं। किसी भी परिस्थिति में विज्ञप्ति में निर्धारित शर्तों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों को **<u>अनुबंध-IV</u> (एकबारगी पंजीकरण)** और **<u>अनुबंध-V</u> (ऑनलाइन आवेदन पत्र)** के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थियों को दिए गए अनुदेशों को पढ़ना चाहिए।

3. इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करने के इच्छुक सभी अभ्यर्थी, जिन्होंने नई वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर अपना एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) नहीं किया है, उन्हें पंजीकरण करना होगा क्योंकि पुरानी वेबसाइट (https://ssc.nic.in) पर बनाया गया ओटीआर नई वेबसाइट पर मान्य नहीं होगा। ओटीआर पंजीकरण के बाद, अभ्यर्थी परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भर सकते हैं। नई वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर ओटीआर बन जाने के बाद, यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मान्य रहेगा। इस विज्ञप्ति के **<u>अनुबंध-IV</u>** में ओटीआर हेतु विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।

4. आवेदन-पत्र एसएससी (मुख्यालय) की वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किया जाना चाहिए। विस्तृत निर्देशों के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति के **<u>अनुबंध-IV</u>** और **<u>अनुबंध-V</u>** को देखें। एक बारगी पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन पत्र के नमूने प्रपत्र **<u>अनुबंध-IVक</u>** और **<u>अनुबंध-Vक</u>** के रूप में संलग्न हैं।

5. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ओटीआर प्रक्रिया को पूरा करते समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीतियों के अनुसार आधार-आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें।

6. आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास अपनी पहले से मौजूद फोटो होना आवश्यक नहीं है। एप्लिकेशन माड्यूल को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी की फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, अभ्यर्थी को एप्लिकेशन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर मोबाईल फोन /कंप्यूटर के कैमरे के सामने खड़ा होना/बैठना होगा और लाइव फोटो खींचते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा:

क. अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें ।
ख. फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है ।
ग. अपने आप को सीधे कैमरे के सामने रखें और सीधे सामने देखें ।

घ. सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे द्वारा चित्रित लाल आयताकार क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से है और यह न तो बहुत करीब है और न ही बहुत दूर है। इसे क्षेत्र को पूरी तरह से कवर करना चाहिए और चेहरे का कोई भी हिस्सा आयत के बाहर नहीं होना चाहिए।

ङ. अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

7. अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि खींची गई फोटो स्पष्ट हो, टोपी या चश्मे के बिना हो और सामने का भाग दिखाई दे रहा हो। ऐसी ऑनलाइन आवेदन पत्र जिसमें फोटो निर्देशों के अनुसार नहीं खींची गई है, अस्वीकृत किए जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो नहीं खींचनी चाहिए। ऐसी सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र, जिनमें अभ्यर्थी की पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो खींची गई हो, सरसरी तौर पर रद्द कर दिए जाएंगे।

8. परीक्षा के दौरान लोगो द्वारा अभ्यर्थियों के प्रतिरूपण का प्रयास करने के मामले सामने आए हैं। इसलिए, परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के स्वरूप और आवेदन पत्र के साथ जमा की गई फोटो में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति न दें। अतः अभ्यर्थियों को अपने हित में यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि परीक्षा के दिन उनका स्वरूप आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर के अनुसार ही हो।

9. अभ्यर्थी को जेपीईजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में स्कैन किए गए अपने हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अनुपयुक्त फोटो युक्त अथवा धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले और उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा न करने वाले आवेदन-पत्रों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

10. अभ्यर्थियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र, उपस्थिति पत्र, परीक्षा हॉल में आयोग की प्रति और आयोग के साथ सभी पत्राचार में किए गए हस्ताक्षर एक समान हों और उनमें किसी भी प्रकार का अंतर न हो। यदि हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है, तो आयोग द्वारा उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

11. अभ्यर्थी को अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

(i) सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की सत्यापित प्रति जोकि उस विभाग के प्रमुख या कार्यालय के प्रमुख द्वारा विधिवत सत्यापित की गई हो जिसमें अभ्यर्थी आवेदन करते समय सेवारत है और जिसमें सरकारी कर्मचारी के विवरण *अर्थात्* अभ्यर्थी का पूरा नाम, उसके पिता का नाम, विवाहित सरकारी सेवारत महिलाओं के मामले में पति का नाम, राष्ट्रीयता, अनुसूचित जाति / जनजाति का नाम, यदि अभ्यर्थी ऐसी जाति या जनजाति से संबंधित हो, ईसा-वर्ष में जन्म-तिथि (अंकों व शब्दों, दोनों में) दर्शाया गया हो।

(ii) आवेदन करते समय जहां वह कार्यरत है, उस कार्यालय के विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख द्वारा अनुप्रमाणित सेवा संबंधी विवरणों की सत्यापित प्रतिलिपि जिसमें वेतनमान और पद-स्थिति, यथा-मूल, स्थानापन्न, स्थायी या अस्थायी सहित धारित पद दर्शाया गया हो।

(iii) बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के मामले में दिव्यांगता का प्रमाणपत्र।

टिप्पणी-I: कर्मचारी चयन आयोग यदि आवश्यक समझे तो सेवा पंजिका या अन्य दस्तावेजी प्रमाण मांग सकता है।

टिप्पणी-II: अभ्यर्थिता के समर्थन में प्रिंट किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ केवल स्व-सत्यापित प्रति ही संलग्न की जानी चाहिए और कोई भी दस्तावेज मूलरूप में जमा नहीं किया जाना चाहिए।

12. अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि ऑनलाइन आवेदन अधूरा है या गलत तरीके से भरा गया है या उपरोक्त पैरा 11 के तहत उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेज के बिना है, तो ऐसे आवेदनपत्र को अस्वीकार कर दिया जाएगा और इसकी अस्वीकृति के विरूद्ध किसी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

13. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय दिनांक 16.07.2026 (2300 बजे तक) है।

14. अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें, ताकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अत्यधिक व्यस्तता के कारण एसएससी की वेबसाइट पर लॉगिन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचा जा सके। उपर्युक्त कारणों या आयोग के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से, अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि तक आवेदन जमा न कर पाने की स्थिति में, आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

15. अभ्यर्थियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आयोग द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्तर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में किसी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

16. ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को पूर्वावलोकन/ प्रिंट विकल्प के माध्यम से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्होंने आवेदन पत्र के प्रत्येक भाग में सही जानकारी भरी है। उन्हें यह भी जांच कर लेनी चाहिए कि फोटो और हस्ताक्षर उपरोक्त सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन की एक प्रति अपने पास रखने की सलाह दी जाती है।

17. अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उन्हें कोई भी गलत/त्रुटिपूर्ण /भ्रामक सूचना नहीं देनी चाहिए या किसी महत्वपूर्ण जानकारी को नहीं छिपाना चाहिए।

18. आयोग परीक्षा के समय, पात्रता और अन्य पहलुओं हेतु ऑनलाइन आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पात्रता मानदंडों की आवश्यकताओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सुनिश्चित कर लें कि वे पद(पदों) के लिए पात्र हैं।

19. वे सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा की विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में निर्धारित तिथि व समय तक पंजीकरण और आवेदन करते हैं और जिनके आवेदन इस परीक्षा की विज्ञप्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार आयोग द्वारा अनंतिम रूप से स्वीकृत किए जाते हैं, उन्हें अनुक्रमांक आवंटित किए जाएंगे और कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने हेतु प्रवेश प्रमाण पत्र (एसी) जारी किए जाएंगे।

20. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र आयोग के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। परीक्षा के किसी भी चरण हेतु प्रवेश प्रमाणपत्र डाक द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से संबंधित किसी भी अपडेट और जानकारी के लिए आयोग के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें।

21. अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन केवल **दिल्ली-एनसीआर** में ही किया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से संबंधित जानकारी, जिसमें समय सारिणी और परीक्षा केंद्र/ शहर का विवरण शामिल होगा, परीक्षा की तिथि से लगभग 10 दिन पहले आयोग के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट

अर्थात् https://sscnr.nic.in पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से एक सप्ताह पहले तक, आयोग के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर अपना विवरण नहीं मिलता है, तो उसे आवेदन जमा करने के प्रमाण के साथ तुरंत आयोग के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए जिसमे विफल होने पर परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता पर विचार किए जाने के किसी भी दावे से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा । प्रवेश प्रमाणपत्र डाउनलोड करने की सुविधा क.च.आ. (उत्तरी क्षेत्र) की वेबसाइट पर परीक्षा से 3-4 दिन पहले उपलब्ध होगी।

टिप्पणी:- अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि विदेश में स्थित किसी भी भारतीय दूतावास में कोई परीक्षा केंद्र नहीं होगा। विदेश में स्थित किसी भारतीय दूतावास में कार्यरत अभ्यर्थी को यह परीक्षा भारत में अपने खर्च पर देनी होगी।

22. आयोग किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र पर परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आयोग किसी भी केंद्र के अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए किसी अन्य केंद्र पर भेजने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

23. परीक्षा में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए सरकारी कर्मचारी के नियोक्ता द्वारा जारी किया गया विभागीय पहचान पत्र (मूल), प्रवेश प्रमाणपत्र की प्रति सहित प्रस्तुत करनी होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को कर्मचारी चयन आयोग से कोई यात्रा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

24. जिन अभ्यर्थियों ने ओटीआर के दौरान आधार आधारित प्रमाणीकरण नहीं किया है, उन्हें परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना होगा और अनिवार्य रूप से कम से कम दो पासपोर्ट आकार की नवीनतम रंगीन फोटो और प्रवेश प्रमाणपत्र पर छपी जन्मतिथि वाला मूल वैध फोटो-पहचान पत्र साथ लाना होगा जिसमें विफल होने पर उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसे कि:

24.1 मतदाता पहचान पत्र
24.2 ड्राइविंग लाइसेंस
24.3 पैन कार्ड
24.4 पासपोर्ट
24.5 राज्य/केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र ।

25. यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि अंकित नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज़ (अर्थात् सीबीएसई/ आईसीएसई/ राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रीकुलेशन प्रमाण-पत्र, अंक सूची (मार्क्सशीट), जन्म प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र आदि) अवश्य लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र और जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में लाए गए फोटो पहचान-पत्र / प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म-तिथि मेल नहीं खाती है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी । तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकृत अभ्यर्थियों के लिए उपर्युक्त शर्त लागू नहीं है ।

26. **पैरा 35 (क), 35 (ख), 35 (ग) के अनुसार,** प्रलिपिक/तकनीक/ सहायक डिवाइस की सुविधा का लाभ उठाने वाले दिव्यांग /बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी जैसा कि निर्दिष्ट है, चिकित्सा प्रमाण पत्र/वचन पत्र/ प्रलिपिक के फोटो पहचान पत्र की फोटोकॉपी और मूल दस्तावेज साथ लाना होगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

27. अभ्यर्थियों को परीक्षा में उपस्थित होने के समय प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित अन्य दस्तावेज भी साथ लाना होगा ।

28. कर्मचारी चयन आयोग प्रयोक्ता मंत्रालयों/ विभागों/ संगठनों द्वारा सूचित रिक्तियों के अनुसार कर्मियों की भर्ती करता है। प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग/ संगठन में उत्पन्न होने वाली कुल रिक्तियों (ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज), बैकलॉग रिक्तियों, विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के तहत रिक्तियों के पृथक्करण और भरी जाने वाली रिक्तियों के निर्धारण में आयोग की कोई भूमिका नहीं है।

29. परीक्षा के लिए नियम:-

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2025 के लिए आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के नियम, केंद्रीय सचिवालय सेवा, डीओपीटी और विदेश मंत्रालय (संवर्ग सेल) में सहायक अनुभाग अधिकारी के ग्रेड की चयन सूची में शामिल होने के लिए है, सामान्य जानकारी हेतु प्रकाशित किए जाते हैं।

30. निर्णायक तिथि और पात्रता की शर्तें :-

सेवा/ संवर्ग का नाम	मान्य सेवा की गणना के लिए निर्णायक तिथि	पात्रता की शर्तें
केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस), डीओपीटी	**जुलाई, 2025 का पहला दिन (01.07.2025)**	केंद्रीय सचिवालय सेवा के अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड के कोई भी अधिकारी, जिन्होंने संबंधित तिथि तक उस ग्रेड में कम से कम '**छह वर्षों**' की मान्य और निरंतर सेवा की हो, परीक्षा में बैठने हेतु योग्य है।
विदेश मंत्रालय (संवर्ग सेल)	**जुलाई, 2025 का पहला दिन (01.07.2025)**	सेवा के अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड, जिन्होंने संबंधित तिथि तक विदेश मंत्रालय द्वारा तय किए गए अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम (कार्यक्रमों) को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाले ग्रेड में कम से कम '**छह वर्षों**' की मान्य सेवा की हो।

31. अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) अभ्यर्थियों और बेंचमार्क दिव्यांगजनों (बे.दि.) के लिए आरक्षण, जहां भी लागू और स्वीकार्य है, मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार संबंधित सेवा/ संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित और सूचित किया जाएगा।

32. यदि निर्धारित मानक के आधार पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं जो उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भर सके (सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति के मामले में), तो इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को शिथिल मानक पर चयनित किया जा सकता है। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले सभी बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए समान शिथिल मानक लागू किया जाएगा, भले ही वे अनारक्षित/ अ.जा. / अ.ज.जा. श्रेणी से संबंधित हों। किसी भी श्रेणी के किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में मानकों में किसी और शिथिलता पर विचार या स्वीकार नहीं किया जाएगा।

33. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या बेंचमार्क दिव्यांगजन से संबंधित अभ्यर्थी जिन्हें आयोग द्वारा ऊपर उल्लिखित शिथिल मानक का सहारा लिए बिना अनुशंसित किया गया है, उन्हें अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / बेंचमार्क दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा।

34. कोई अभ्यर्थी जो परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने के बाद या उसमें उपस्थित होने के बाद, अपनी नियुक्ति से इस्तीफा दे देता है या अन्यथा सेवा छोड़ देता है या उससे अपना संबंध समाप्त कर देता है या जिसकी सेवाएं उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है या जो 'स्थानांतरण' पर किसी पूर्व-संवर्ग पद पर या किसी अन्य सेवा में नियुक्त हो जाता है और वरिष्ठ सचिवालय सहायक / प्रवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में धारणाधिकार (लियन) नहीं रखता है, वह इस परीक्षा के परिणाम पर अपनी संबंधित सेवाओं / संवर्गों में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। तथापि, यह उस व्यक्ति पर लागू नहीं होता है जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है।

35. प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस की सहायता और प्रतिपूरक समय का प्रावधान :

क. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और नेत्रहीनता की श्रेणी में आने वाले बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस की सुविधा दी जाएगी, बशर्ते ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय इस संबंध में आयोग को अनुरोध किया हो, आवेदन प्रपत्र भरते समय अपेक्षित दिव्यांगता प्रमाणपत्र (विज्ञप्ति का **अनुबंध-VII/ अनुबंध-VIII)** अपलोड किया हो तथा बशर्ते उक्त पद इन श्रेणियों की दिव्यांगता के लिए उपयुक्त माना जाए।

ख. बेंचमार्क दिव्यांगता वाले शेष श्रेणियों के व्यक्तियों के मामले में, सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक द्वारा **अनुबंध -II** में दिए प्रपत्र के अनुसार, यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लिखने से संबंधित शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस अत्यावश्यक है। साथ ही, **आवेदन पत्र भरते समय** आवश्यक प्रमाणपत्र (**अनुबंध-II/ अनुबंध-VII/ अनुबंध-VIII के अनुसार दिव्यांगता प्रमाणपत्र) अपलोड करना अनिवार्य है।** अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए **अनुबंध-II** / **दिव्यांगता प्रमाणपत्र** के आधार पर पीडब्ल्यूबीडी प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता का सत्यापन आयोग द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।

ग. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी दिनांक 10.08.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 29-6/2019-डीडी-III के अनुसार, 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में अक्षम दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को भी प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस की सहायता प्रदान की जाएगी। यह सुविधा **अनुबंध-III** में दिए गए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, **आवेदन पत्र भरते समय आवश्यक प्रमाण पत्र (अनुबंध-III/ अनुबंध-VII/ अनुबंध-VIII के अनुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र) अपलोड करना अपेक्षित है। अनुबंध-III/दिव्यांगता प्रमाणपत्र** के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दिव्यांगजन प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता का सत्यापन आयोग द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।

घ. बेंचमार्क दिव्यांगजन/ दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस की सुविधा केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उन्होंने ऑनलाईन आवेदनपत्र में इस विकल्प का चयन किया हो।

ङ. **उपर्युक्त पैरा 35 (क), 35 (ख) एवं 35 (ग) के अनुसार** सहायक प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस की सुविधा के लिए पात्र व्यक्तियों को परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय उपलब्ध कराया जाएगा।

च. **उपर्युक्त पैरा 35 (क), 35 (ख) एवं 35 (ग)** से संबंधित अभ्यर्थी, जो प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस की सुविधा लेने के पात्र हैं, परंतु इस सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें भी परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय उपलब्ध कराया जाएगा।

छ. बेंचमार्क दिव्यांग / दिव्यांग अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस की सुविधा और/ अथवा प्रतिपूरक समय का लाभ लिया है, उन्हें प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस / प्रतिपूरक समय की पात्रता के लिए

संगत दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे सहायक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।

36. **परीक्षा की योजना:** परीक्षा निम्नलिखित पाठ्यक्रम और योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी:

भाग- I: कंप्यूटर आधारित परीक्षा (300 अंक)

पेपर सं.	विषय	पेपर के प्रकार	अधिकतम अंक	समय अवधि
I	(i) सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों और अभूतपूर्व पहलों पर केंद्रित सामान्य जानकारी। (ii) संवैधानिक प्रावधानों और भारत सरकार में उनके सामान्य प्रयोग की जानकारी। (iii) भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया नियमावली और संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी कार्यालय ज्ञापनों/ निर्देशों के अनुसार संसदीय प्रक्रियाएं। (iv) अंग्रेज़ी/ हिंदी में पठन बोधगम्यता। (v) केंद्रीय सचिवालय – कार्यालय प्रक्रिया नियमावली। (vi) कार्य आवंटन नियम और कार्य संचालन नियम। (vii) टिप्पण और प्रारूपण	वस्तुनिष्ठ	150	3 घंटे (प्रलिपिक* के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे)
II	(i) सेवा नियम जैसे अवकाश नियम, सीसीए और आचरण नियम, पेंशन और एनपीएस नियम आदि। (ii) वित्तीय नियम जैसे टीए, एलटीसी आदि। (iii) कानूनों जैसे आरटीआई अधिनियम, 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013। (iv) अभिलेख प्रबंधन (v) सार लेखन।	वस्तुनिष्ठ	150	3 घंटे (प्रलिपिक* के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे)

* पैरा 35 (क), 35 (ख) एवं 35 (ग) के अनुसार।

(i) भाग-I में 150-150 अंकों की दो कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं अर्थात् पेपर-I एवं पेपर-II शामिल हैं। पेपर-I एवं पेपर-II, दोनों में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। पेपर-I एवं पेपर-II में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक अर्थात् 25% का नकारात्मक अंकन होगा।

(ii) अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में चयनित भाषा (अंग्रेजी /हिंदी) में ही परीक्षा देनी होगी। दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ब्रेल लिपि के प्रश्नपत्र उपलब्ध नहीं होगा।

(iii) कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजियां परीक्षा के बाद आयोग की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी देख सकते हैं और अभ्यावेदन, यदि कोई है, तो रू. 50/- प्रति प्रश्न का भुगतान कर, जोकि अप्रतिदेय है, आयोग द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर, ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदन; अर्थात्, पत्र, आवेदन, ईमेल आदि पर विचार नहीं किया जाएगा। उत्तर कुंजियों के संबंध में अभ्यावेदन की जांच, उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप देने से पहले की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजियां परिणाम की घोषणा के बाद जारी की जाएंगी।

(iv) चुनौती/आपत्ति/अभ्यावेदन प्रबंधन प्रणाली के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश आयोग की वेबसाइट पर **दिनांक 10.04.2026** की विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित किए गए हैं। अभ्यर्थी कृपया इन्हें पढ़ें, क्योंकि चुनौती/आपत्ति/अभ्यावेदन प्रबंधन इन्हीं दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(v) परीक्षा के किसी भी चरण/ पेपर (पेपरों) में अंकों के पुनर्मूल्यांकन/ पुनः जांच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(vi) परीक्षा विज्ञप्ति में दर्शाया गया परीक्षा का कार्यक्रम संभावित है। परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी बदलाव की सूचना अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी।

भाग-II सेवा अभिलेख का मूल्यांकन (100 अंक):

(i) सेवा अभिलेख (एपीएआर) के मूल्यांकन के लिए 100 अंक निर्धारित हैं। अभ्यर्थी का रैंक तय करने के लिए भाग-II में प्राप्त अंक जोड़े जाएंगे।

(ii) एक बार एपीएआर का मूल्यांकन हो जाने के बाद, किसी भी परिस्थिति में आयोग द्वारा अगली तारीख पर एपीएआर ग्रेडिंग आदि में बदलाव के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

37. चयन की प्रक्रिया:

i. आयोग अपने विवेकानुसार भाग-I के पेपर-I और पेपर-II के लिए अलग-अलग न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित कर सकता है।

ii. भाग-I के पेपर-I और पेपर-II में समग्र प्रदर्शन के आधार पर, अभ्यर्थियों को भाग-II अर्थात् सेवा अभिलेख के मूल्यांकन हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो अभ्यर्थी भाग-I के पेपर-I और पेपर-II में उत्तीर्ण नहीं होंगे, वे भाग-II अर्थात् सेवा अभिलेख के मूल्यांकन हेतु पात्र नहीं होंगे और आगे की चयन प्रक्रिया के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

iii. अंतिम चयन, भाग-I (सीबीई) तथा भाग-II (एपीएआर मूल्यांकन) में अभ्यर्थियों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

iv. परीक्षा के बाद, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के नाम, प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए अंतिम अंकों के साथ मेरिट के क्रम में, शामिल हुए संवर्गों/ सेवाओं के लिए, आयोग द्वारा अलग सूची में व्यवस्थित किए जाएंगे ताकि आयोग द्वारा परीक्षा में अर्हक पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) और विदेश मंत्रालय (संवर्ग सेल) के क्रमशः सहायक अनुभाग अधिकारी और सहायक की चयन सूचियों में शामिल करने हेतु अनुशंसित की जा सके।

v. बशर्ते कि आयोग द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या की सीमा तक शिथिल मानकों द्वारा अनुशंसा की जा सकेगी जोकि इन अभ्यर्थियों की सेवा में चयन की उपयुक्तता के अध्यधीन है।

vi. बशर्ते कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा इस उपनियम में उल्लिखित शिथिल मानकों के दिए बिना ही अनुशंसा की गई है, उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा।

vii. विभिन्न सेवाओं/ संवर्गों में सहायक अनुभाग अधिकारी/सहायक के ग्रेड का चयन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और बेंचमार्क दिव्यांग की श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के अध्यधीन, योग्यता के क्रम में, संबंधित सेवा/संवर्ग द्वारा सूचित रिक्तियों की संख्या के अनुसार, उपलब्ध रिक्तियों की सीमा तक किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों की अनुशंसा नहीं की गई है उनके अंक कट-ऑफ अंक से कम हैं; अर्थात्, वे मेरिट सूची में जगह नहीं बना पाए हैं और परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं कर पाए हैं।

viii. अभ्यर्थियों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगी परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा। इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर, केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) और विदेश मंत्रालय (संवर्ग सेल) के सहायक की चयन सूची में कितने अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए जाएं, यह तय करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है। इसलिए, कोई भी अभ्यर्थी अधिकार के तौर पर इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर चयन सूची में शामिल किये जाने का कोई दावा नहीं करेगा।

ix. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से चयन का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि संवर्ग प्राधिकारी यथा आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि सेवा में उसके आचरण को देखते हुए अभ्यर्थी हर प्रकार से चयन के लिए उपयुक्त है।

38. <u>बराबरी (टाई) के मामलों का समाधान:</u>

ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक अभ्यर्थी समान कुल अंक प्राप्त करते हैं, बराबरी का समाधान होने तक दिए गए क्रम में निम्नलिखित तरीकों को एक के बाद एक लागू करके बराबरी का समाधान किया जाएगा।

(i) पेपर-I में प्राप्त अंक
(ii) पेपर-II में प्राप्त अंक
(iii) जन्म तिथि, अधिक आयु के अभ्यर्थी को पहले लिया जाएगा
(iv) वर्णानुक्रम, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम हैं।

39. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

i. आयोग परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत रूप से परीक्षा-पश्चात विश्लेषण करता है। इसमें लॉग विश्लेषण, फोटो और बायोमेट्रिक सत्यापन और सीसीटीवी फुटेज समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जांच करना भी शामिल है। परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों पर आयोग की नीति के अनुसार सख्त कार्रवाई की जा सकती है जिसमें अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द करना और उसे भविष्य की परीक्षाओं से वारित करना शामिल है।

ii. यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान या उसके पश्चात निम्नलिखित सूचीबद्ध कदाचारों में से किसी में भी संलिप्त पाए जाते हैं, तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और इसके अतिरिक्त प्रवृत्त कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्र.सं.	**कदाचार का प्रकार**	**वारित अवधि**
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना।	01-02 वर्ष
2	निर्धारित प्रक्रिया पूरी किए बिना परीक्षा स्थल को छोड़ना।	01 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात् पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	02-03 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना / अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना।	03 वर्ष
5	जानबूझकर गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना/ महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	01-03 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	03 वर्ष
7	परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, वायरलेस उपकरण, स्पाई कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना।।	03-05 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना/प्रयास करना।	02-05 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत हो।	03 वर्ष
10	जानबूझकर परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	01-03 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	05 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों/हथियारों को रखना अथवा आग्नेय शस्त्रों /हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना/धमकाना या परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों जैसे- पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	07 वर्ष
13	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे-कागज या शारीरिक अंगों पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्त्रोतों से नकल करना।	07 वर्ष
14	प्रतिरूपण/किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिरूपण में कार्यसाधन कराना।	07 वर्ष
15	प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का स्नैपशॉट लेना, वीडियो बनाना आदि।	07 वर्ष

16	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लेन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनल को साझा करना।	07 वर्ष
17	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा प्रणाली को हैक करने या जोड़-तोड़ करने की कोशिश करना।	07 वर्ष
18	अभ्यर्थी जिसका एक ही परीक्षा में प्रलिपिक के रूप में बैठना अथवा प्रलिपिक के बारे में गलत जानकारी घोषित करना ।	03-05 वर्ष
18क	अभ्यर्थी/ प्रलिपिक का एक ही परीक्षा में 'स्वयं के प्रलिपिक' के रूप में एक से अधिक बार बैठना ।	03 वर्ष
18ख	अभ्यर्थी द्वारा ऐसे प्रलिपिक की सेवाएं लेना, जिसे भर्ती प्रक्रिया से वारित कर दिया गया हो।	03 वर्ष
19	परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि प्रलिपिक स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है या अभ्यर्थी को किसी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तरीके से उत्तर देने के लिए प्रेरित कर रहा है।	07 वर्ष
20	अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न भर्तियों में अलग-अलग पिता का नाम, जन्मतिथि आदि के साथ आवेदन करना अथवा इसके विपरीत।	01-05 वर्ष
21	प्रतिरूपणकर्ता (कर्मचारी चयन आयोग के रिकार्ड के अनुसार) अभ्यर्थी के लिए प्रलिपिक के रूप में उपस्थित होना।	07 वर्ष
22	कर्मचारी चयन आयोग की एक ही परीक्षा में एक से अधिक अभ्यर्थियों के लिए प्रलिपिक के रूप में उपस्थित होना अथवा ऐसे प्रलिपिक को नियुक्त करने वाला अभ्यर्थी।	05-07 वर्ष

नोट :- ऊपर उल्लिखित कदाचारों की सूची केवल उदाहरण के तौर पर दी गई है और यह परिपूर्ण नहीं है । आयोग किसी भी अभ्यर्थी विरूद्ध कार्रवाई करने का अधिकार रखता है यदि अभ्यर्थी किसी ऐसे आचरण में लिप्त पाया जाता है जिसे आयोग द्वारा 'कदाचार' माना गया है।

iii. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या यथा-स्थिति ऐसा करने के लिए उकसाया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासिक्यूशन) चलाया जा सकता है और इसके साथ ही उसे:-

(I) आयोग द्वारा उस परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, जिसका वह अभ्यर्थी है अथवा

(II) उसे या तो स्थायी रुप से या एक विशेष अवधि के लिए वारित किया जा सकता है:

क. आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा या उनके किसी चयन से,
ख. केंद्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से और
ग. उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक और कोई अन्य उपयुक्त कानूनी कार्रवाई ।

iv. आयोग उचित लगने पर मामले को पुलिस /जांच एजेंसी को भी रिपोर्ट कर सकता है और आयोग संबंधित अधिकारियों / फोरेंसिक विशेषज्ञ से मामले की जांच कराने के लिये यथोचित कार्रवाई भी कर सकता है ।

v. अभ्यर्थी द्वारा यदि किसी भी प्रकार से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश की जाती है तो उसे परीक्षा में प्रवेश के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाएगा ।

40. आवेदन पत्र भरने/जमा करने और कंप्यूटर आधारित परीक्षा से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं:

i. हेल्प डेस्क (एसएससी-मुख्यालय) 1800 309 3063 (टोल फ्री)
ii. एसएससी (उत्तरी क्षेत्र), नई दिल्ली 011-24363343

41. आयोग का निर्णय अंतिम: पात्रता,आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा (परीक्षाओं) के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन तथा मेरिट सूची तैयार करने और पदों/ विभागों के आबंटन, कदाचार में संलिप्त होने पर वारित करने से संबंधित सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में किसी पूछ-ताछ/ पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

42. न्यायालय का क्षेत्राधिकार : इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय / न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा (परीक्षाएं) दी है अर्थात् उत्तरी क्षेत्र।

अनुबंध-II

परीक्षार्थी की लिखने संबधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती ....(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री ...., ग्राम/जिला/राज्य .... के निवासी हैं, जोकि ....(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा - उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जांच की है और उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं उनकी लेखन क्षमताओं को प्रभावित करती हैं।

हस्ताक्षर
सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक
नाम व पदनाम
सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:
तारीख:

टिप्पणी: संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात् दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

अनुबंध-III

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए विशिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, के लिए प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, हमनें श्री / सुश्री / श्रीमती ....(अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र / सुपुत्री ...., निवासी ....(ग्राम / डाकघर / थाना / जिला / राज्य), आयु .... वर्ष, ... (दिव्यांगता / स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित व्यक्ति की जांच की है, और उल्लेख करते हैं कि उनकी उपर्युक्त स्थिति के कारण उनकी लेखन संबंधी सीमाएं हैं जिससे उनकी लेखन क्षमता बाधित होती है। उन्हें परीक्षा लिखने के लिए प्रलिपिक की सहायता की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त अभ्यर्थी प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (नाम निर्दिष्ट करें) जैसी सहायिकाओं और सहायक उपकरणों का उपयोग करता है, जो प्रलिपिक की सहायता से परीक्षा में बैठने हेतु अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाणपत्र केवल भर्ती एजेंसियों, और साथ ही शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और ___________ (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम की अवधि के लिए वैध है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है) तक वैध है।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम))	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
ऑर्थोपेडिक / पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	व्यवसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध है)	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अन्य विशेषज्ञ (यदि कोई है)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी .... अध्यक्ष				

मोहर के साथ सरकारी अस्पताल / स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम

स्थान:

तारीख:

अनुबंध-IV

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

I.एक बारगी पंजीकरण

II.परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'एक-बारगी पंजीकरण-प्रपत्र' और 'ऑनलाइन आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार, अपने ओटीआर प्रक्रिया को पूरा करते समय आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें। जो अभ्यर्थी आधार आधारित प्रणाली के माध्यम से स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहते, उन्हें अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) पूरा करने के लिए निर्धारित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
3. एक-बारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:
   - क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)
   - ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
   - ग. आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरणों में मूल दस्तावेज़ को दिखाना होगा)
     - i.मतदाता पहचान पत्र
     - ii.पैन
     - iii.पासपोर्ट
     - iv.ड्राइविंग लाइसेंस
     - v.नियोक्ता पहचान पत्र (सरकारी)
   - घ. बोर्ड, अनुक्रमांक और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्ष के बारे में जानकारी।
4. एक-बारगी पंजीकरण के लिए, आयोग की नई वेबसाईट अर्थात् http://ssc.gov.in पर दिए गए 'Login or register' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।
5. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
   - क. व्यक्तिगत विवरण
   - ख. पासवर्ड बनाना
   - ग. अतिरिक्त जानकारियां
   - घ. घोषणा।

6. **'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें**:

क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात् आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमो में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं, तो इसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा और इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।

ख. क्रम संख्या- 1: आधार संख्या के बारे मे जानकारी प्रदान करें। यदि आपके पास आधार संख्या नहीं है तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:-

(i) नाम के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, सरकारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज

(ii) जन्म तिथि के प्रमाण हेतु नामतः जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र,

(iii) पते के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की सत्यापित फ़ोटो के साथ बैंक स्टेटमेंट, रेंट ऐग्रीमेंट, आयकर असेस्मेंट आदेश।

(iv) फोटो।

(v) लिंग के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र।

ग. क्रम संख्या- 2: अपना नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

घ. क्रम संख्या- 3: यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख क्रम संख्या 3क और 3ख में करें।

ङ. क्रम संख्या- 4: अपना लिंग बताएं (पुरूष/महिला)।

च. क्रम संख्या- 5: अपनी जन्मतिथि ठीक वैसी ही भरें जैसा कि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।

छ. क्रम संख्या- 6: अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसा कि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

ज. क्रम संख्या- 7: अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसा कि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

झ. क्रम संख्या- 8 से 10: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित शामिल है:

i. शिक्षा बोर्ड का नाम
ii. रोल नंबर
iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष

ञ. क्रम संख्या- 11: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)

ट. क्रम संख्या- 12: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो कर्मचारी चयन आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।

ठ. क्रम संख्या- 13: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा,केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड / पजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।

ड. जब क्रम संख्या 1 से 13 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका डाटा सेव हो जाएगा और पंजीकरण संख्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। आपकी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

ढ. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।

ण. अपनी पंजीकृत संख्या को उपयोगकर्ता नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें।

पासवर्ड बनाना

त. पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।

थ. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगइन करना होगा।

द. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, आपके द्वारा अभी तक की 'मूलभूत विवरण' के बारे में भरी गई जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करें अथवा नीचे दिए गए 'Next' बटन को क्लिक करके पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।

अतिरिक्त विवरण

ध. क्रम संख्या- 1: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।

न. क्रम संख्या- 2: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें

प. क्रम संख्या- 3: यदि आप भारतीय नागरिक के अलावा कोई अन्य हैं तो कृपया संपर्क विवरण प्रदान करें।

फ. क्रम संख्या- 4: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।

ब. क्रम संख्या- 5: कृपया यदि कोई बेंचमार्क दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी विशिष्ट बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित है, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।

भ. क्रम संख्या- 6 से 7: अपना स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डाटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।

म. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें । ड्राफ्ट का प्रिंट लें और 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।

य. 'Declaration' को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप उक्त घोषणा से सहमत हैं तो 'I Agree' पर क्लिक करें।

र. 'Final Submit' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दो अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दो ओटीपी में से एक ओटीपी डालना होगा।

ल. मूलभूत विवरण प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।

7. आप अपने एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) विवरण को संपादित/ संशोधित नहीं कर सकते हैं अतः आपको एक बारगी पंजीकरण में जानकारी भरते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए। गलत/त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण आपकी अभ्यर्थिता रद्द हो सकती है।

8. आपको पुनः चेतावनी दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा) प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

अनुबंध-IVक

एकबारगी पंजीकरण के स्क्रीनशॉर्ट्स

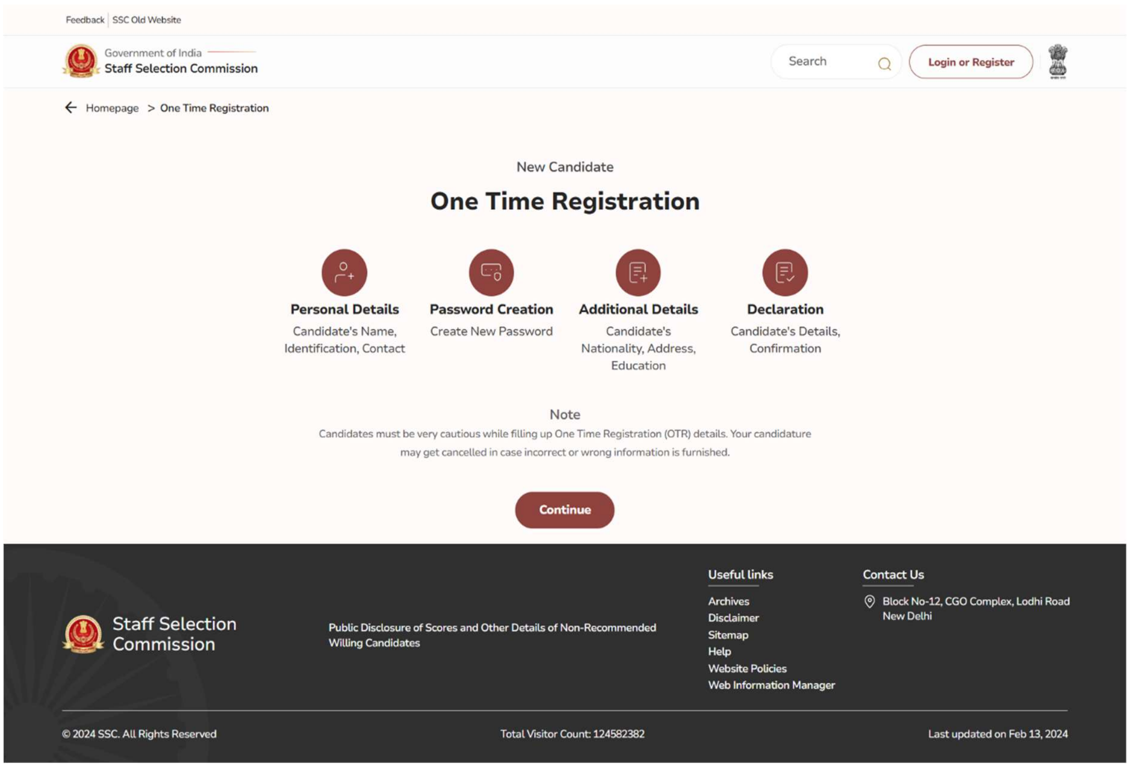

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Search | Login or Register

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

← Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Personal Details

1. Do you have a Aadhaar Card ? *
○ Yes ● No

1.1. Documents *

Please Upload Name Proof (Aadhaar card, Voter ID card, PAN card, Driving License, Government ID card, Government service identity card, Pension document.)
Choose File No file chosen

Please Upload DOB Proof (Birth certificate, School leaving certificate, Certificate of date of birth issued by a Gazetted officer, Aadhar card)
Choose File No file chosen

Please Upload Address Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Driving License, A bank statement with an attested photograph of the applicant, Rent agreement, Income tax assessment order.)
Choose File No file chosen

Please Upload Photo
Choose File No file chosen

Please Upload Gender Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Birth certificate, School leaving certificate.)
Choose File No file chosen

2. Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

1. Candidate Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof).

a. Verify Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

3. Have you ever changed Name ? *
○ Yes ● No

a. New Name / Changed Name

b. Verify New Name/Changed Name

4. Gender *
Select

a. Verify Gender *
Select

5. Date Of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy
Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

a. Verify Date of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy

6. Father's Name *

1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Father's Name *

7. Mother's Name *

1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Mother's Name *

8. Matriculation (10th class) Education Board *
Select
Education Board of Matriculation Examination.

a. Verify Matriculation (10th class) Education Board *
Select

9. Roll Number *

(1) Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
(2) Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s).
(3) If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

a. Verify Roll Number *

10. Year of Passing *
Select

a. Verify Year of Passing *
Select

11. Highest Level of Education Qualification *
Select

a. Verify Highest Level of Education Qualification *
Select

12. Candidate's Mobile Number *

OTP for verification will be sent to this mobile number

13. Candidate's Email ID *

OTP for verification will be sent to this Email ID

Note : At least one of mobile or email OTP validation is required to proceed further.

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

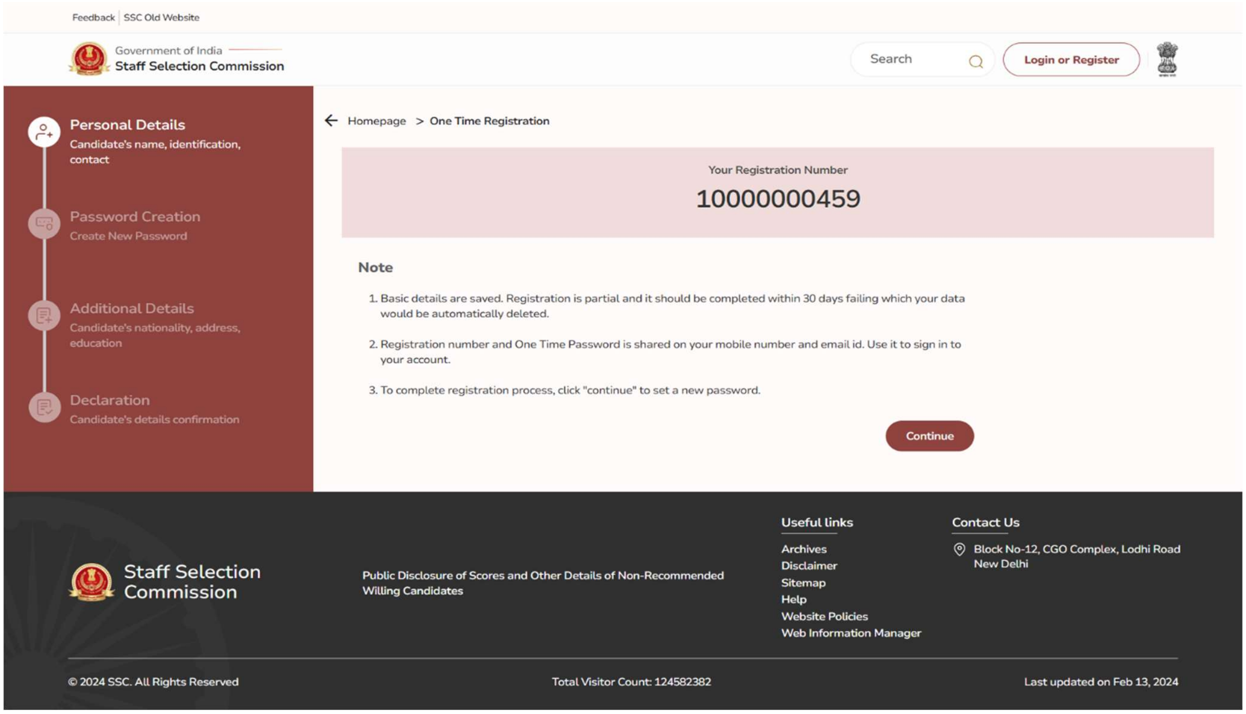
Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
Search
Login or Register
Personal Details
Candidate's name, identification, contact
Password Creation
Create New Password
Additional Details
Candidate's nationality, address, education
Declaration
Candidate's details confirmation
Homepage > One Time Registration
Your Registration Number
10000000459
Note
1. Basic details are saved. Registration is partial and it should be completed within 30 days failing which your data would be automatically deleted.
2. Registration number and One Time Password is shared on your mobile number and email id. Use it to sign in to your account.
3. To complete registration process, click "continue" to set a new password.
Continue
Staff Selection Commission
Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates
Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager
Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi
© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 124582382
Last updated on Feb 13, 2024

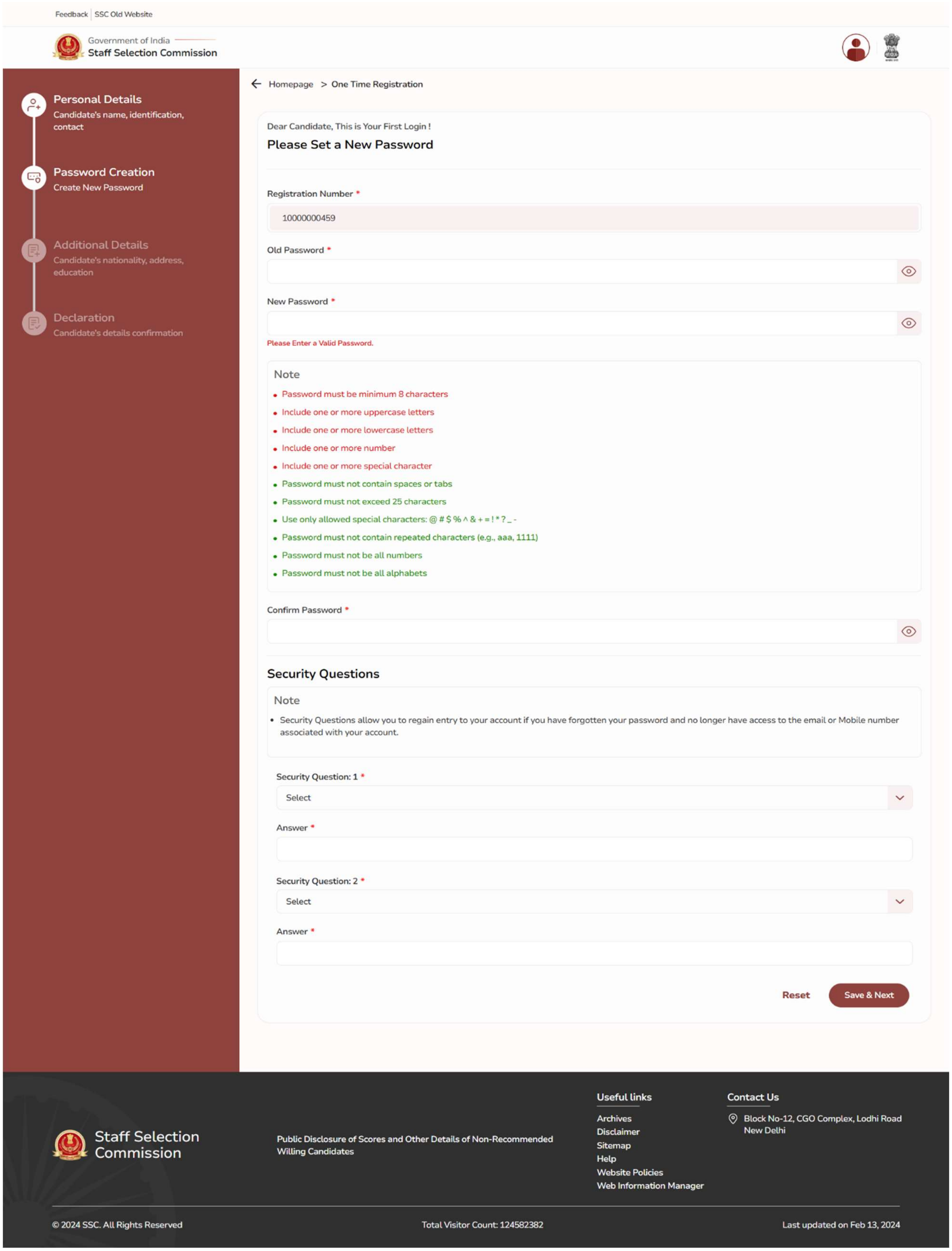
Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
Personal Details
Candidate's name, identification, contact
Password Creation
Create New Password
Additional Details
Candidate's nationality, address, education
Declaration
Candidate's details confirmation
Homepage > One Time Registration
Dear Candidate, This is Your First Login !
Please Set a New Password
Registration Number *
10000000459
Old Password *
New Password *
Please Enter a Valid Password.
Note
Password must be minimum 8 characters
Include one or more uppercase letters
Include one or more lowercase letters
Include one or more number
Include one or more special character
Password must not contain spaces or tabs
Password must not exceed 25 characters
Use only allowed special characters: @ # $ % ^ & + = ! * ? _ -
Password must not contain repeated characters (e.g., aaa, 1111)
Password must not be all numbers
Password must not be all alphabets
Confirm Password *
Security Questions
Note
Security Questions allow you to regain entry to your account if you have forgotten your password and no longer have access to the email or Mobile number associated with your account.
Security Question: 1 *
Select
Answer *
Security Question: 2 *
Select
Answer *
Reset
Save & Next
Staff Selection Commission
Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates
Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager
Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi
© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 124582382
Last updated on Feb 13, 2024

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Additional Details

1. Category *
EWS

a. Verify Category *
EWS

2. Nationality *
Citizen of India

3. Contact Details For Other Nationals

4. Visible Identification Marks *
MOLE ON NOSE

5. Are you Person With Benchmark Disability (PwBD)? *
Yes No

a. Type of Disability

Note
VH : Blindness and Low vision
HH : Deaf and hard of hearing
OH : Locomotor disability, Including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack, victims, & muscular dystrophy
Others : Autism, intellectual disability, specific learning disability & mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

b. Disability Certificate Number

6. Permanent Address *

a. Address *

b. State/UT *
Select

c. District *
Select

d. Pin Code *

7. Is Present Address same as Permanent Address? *
Yes No

a. Address *

b. State/UT *
Select

c. District *
Select

d. Pin Code *

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

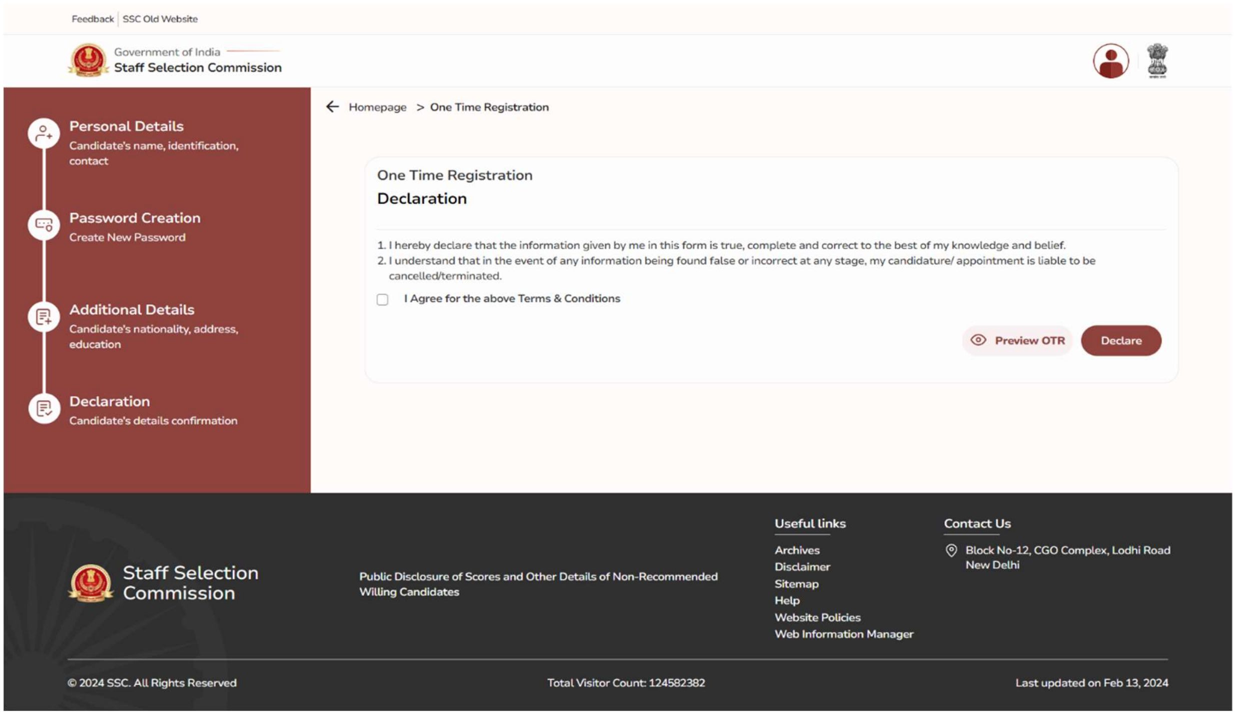

Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
Personal Details
Candidate's name, identification, contact
Password Creation
Create New Password
Additional Details
Candidate's nationality, address, education
Declaration
Candidate's details confirmation
Homepage > One Time Registration
One Time Registration
Declaration
1. I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief.
2. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/terminated.
I Agree for the above Terms & Conditions
Preview OTR
Declare
Staff Selection Commission
Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates
Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager
Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi
© 2024 SSC. All Rights Reserved
Total Visitor Count: 124582382
Last updated on Feb 13, 2024

अनुबंध-V

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व निम्नलिखित डाटा तैयार रखें:

क. एप्लिकेशन माड्यूल को आवेदन-पत्र भरने वाले अभ्यर्थी की फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि खींची गई फोटो स्पष्ट हो, टोपी या चश्मे के बिना हो, और सामने का भाग पूरी तरह दिखाई दे। स्वीकृत /अस्वीकृत फोटो के नमूने **अनुबंध-VE** में दिए गए हैं । यदि खींची गई फोटो स्वीकृत नमूने के अनुसार नहीं हैं, तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पुनः फोटो खींचें । ऐसे आवेदन जिसमें निर्देशों के अनुसार फोटो नहीं है, रद्द किए जा सकते हैं। परीक्षा में अभ्यर्थी का स्वरूप, आवेदन पत्र में दी गई फोटो के अनुरूप होना चाहिए। अभ्यर्थियों को लाइव फोटो खींचते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा :-

(i) अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें ।
(ii) फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है ।
(iii) अपने आप को कैमरे के सामने रखें और सीधे देखें ।
(iv) यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे में चित्रित लाल आयताकार क्षेत्र के अंदर पूरी तरह समाहित हो और यह न तो बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो । यह क्षेत्र को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस आयताकार क्षेत्र से बाहर नहीं होना चाहिए ।
(v) अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

ख. जेपीईजी/जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी) । हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। लघु / धुंधले / अपठनीय हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

2. अपनी 'पंजीकरण संख्या' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।

3. "लाइव परीक्षा" टैब के अंतर्गत खंड "Assistant Section Officer/ Assistant Grade Limited Departmental Competitive Examination, 2025" में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें ।

4. कॉलम संख्या 1 से 18 में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एक बारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तथापि, यदि आप एकबारगी पंजीकरण विवरण में संशोधन करना चाहते हैं तो आपके डैशबोर्ड के बाएं हाथ के ऊपरी कोने पर दिए गए "Modify Registration" टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उचित सुधार कर लें ।

5. क्रम संख्या-19: कृपया अपनी सेवा /संवर्ग/विभाग दर्शाएं ।

6. क्रम संख्या- 20: परीक्षा का वर्ष 2025 होगा ।

7. क्रम संख्या-21 और 21.1: कृपया संबंधित फीडर सेवा/संवर्ग में नियुक्ति की तिथि और सेवा अवधि बताएं। अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुबंध-I के पैरा सं. 30 के अनुसार पात्र हैं।

8. क्रम संख्या-22: परीक्षा केंद्र केवल दिल्ली एनसीआर रहेगा।

9. क्रम संख्या-23.1: सूचना प्रदान करें कि आप दृष्टिहीनता (दृ.दि.) की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांग (40 प्रतिशत या उससे अधिक) हैं या नहीं। क्रम सं. 9.1 के अनुसार यह विकल्प केवल बेंचमार्क दिव्यांजन – अन्य अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। क्रम सं. 23.1 में 'Yes' का चयन करने वाले अभ्यर्थी प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस और प्रतिपूरक समय हेतु पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय कम से कम 40 प्रतिशत दृ.दि. (दृष्टिहीनता /अल्प दृ.) के साथ बहु दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुबंध-I के पैरा 35(क) का संदर्भ लें।

10. क्रम संख्या-23.2: सूचना प्रदान करें कि आप प्रमस्तिष्क पक्षाघात (प्र.प.) की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांग (40 प्रतिशत या उससे अधिक) हैं या नहीं। यह विकल्प केवल बेंचमार्क दिव्यांजन – अ.दि. और बेंचमार्क दिव्यांजन – अन्य अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। क्रम सं. 23.2 में 'Yes' का चयन करने वाले अभ्यर्थी प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस और प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि, इन अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र भरते समय अपेक्षित प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा और परीक्षा के समय भी उसे मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा। कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुबंध-I के पैरा 35(क) का संदर्भ लें।

11. क्रम संख्या-23.3: विज्ञप्ति के अनुबंध-I के पैरा 35(ख) अथवा 35(ग) के अनुसार यदि आप शारीरिक रूप से लिखने में सक्षम नहीं है और आपकी तरफ से लिखने के लिए प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस की आवश्यकता है, तो इंगित करें। यह विकल्प उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा जो बेंचमार्क दिव्यांजन – दृ.दि. अभ्यर्थी हैं अथवा जिन्होंने क्रम सं. 23.1 या 23.2 में 'Yes' का चयन किया है। यह विकल्प सभी अन्य बेंचमार्क दिव्यांजन तथा गैर-बेंचमार्क दिव्यांजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। क्रम सं. 23.3 में 'Yes' का चयन करने वाले बेंचमार्क दिव्यांजन अभ्यर्थी प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस और प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय, परीक्षा विज्ञप्ति के **अनुबंध-II** के प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। बेंचमार्क दिव्यांजन से भिन्न अभ्यर्थी (अर्थात् 40 प्रतिशत कम दिव्यांगता वाले) जिन्होंने क्रम सं. 23.3 में 'Yes' का चयन किया है, प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस और प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र भरते समय परीक्षा विज्ञप्ति के **अनुबंध-III** के प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा और परीक्षा के समय भी उसे मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुबंध-I के पैरा 35(ख) अथवा 35(ग) को पढ़ें।

12. क्रम संख्या- 23.4: प्रलिपिक / तकनीक/ सहायक डिवाइस के रूप में सहायक की आवश्यकता को इंगित करें।

13. क्रम संख्या- 24: कृपया परीक्षा का माध्यम चुनें।

14. क्रम संख्या- 25: कृपया आवेदन करते समय उस मंत्रालय / विभाग/ कार्यालय का नाम तथा पूरे पते का विवरण दें जिसमें आप कार्यरत हैं।

15. क्रम संख्या- 25.1 एवं 25.2 : कृपया विभागाध्यक्ष /कार्यालय प्रमुख का नाम और पदनाम, टेलीफोन नंबर तथा ईमेल(जीओवी /एनआईसी) प्रदान करें।

16. क्रम संख्या- 26: कृपया ‘Yes’ या ‘No’ का चयन करें।

17. क्रम संख्या 27 : कृपया अपने रोजगार का विवरण प्रदान करें।

18. क्रम संख्या 28.1 से 28.4: कृपया पूर्व-संवर्ग / प्रतिनियुक्ति/ लियन पद से संबंधित अन्य विवरण प्रदान करें।

19. क्रम संख्या 29: कृपया कालानुक्रमिक क्रम में सेवा का पूर्ण विवरण प्रदान करें।

20. क्रम संख्या 30.1 से 30.3: कृपया अपेक्षित दस्तावेज़/प्रमाणपत्र अपलोड करें। पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य है।

21. ऊपर क्रम सं.-1 में दिए गए निर्देशानुसार अपनी फोटो खींचे। धुंधले फोटो वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

22. ऊपर क्रम सं.-1 में दिए गए निर्देशानुसार अपने हस्ताक्षर अपलोड करें। लघु/धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

23. पूर्वावलोकन करते समय, कृपया यह जांच लें कि आपके द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारी सही है और ऊपर विज्ञप्ति में विभिन्न स्थानों पर उल्लिखित फोटो/हस्ताक्षर संबंधी निर्देशों का विधिवत पालन किया गया है और आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित करें।

24. "I agree" चेकबॉक्स पर क्लिक करें और कैप्चा कोड भरकर अपनी घोषणा पूरी करें। पूर्वावलोकन में प्रदर्शित अपने आवेदन डाटा की सत्यता की पुष्टि कर "Submit Application" पर क्लिक करें।

25. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर, इसे अनंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकॉर्ड हेतु आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना चाहिए।

अनुबंध -Vक

ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्क्रीनशॉर्ट्स

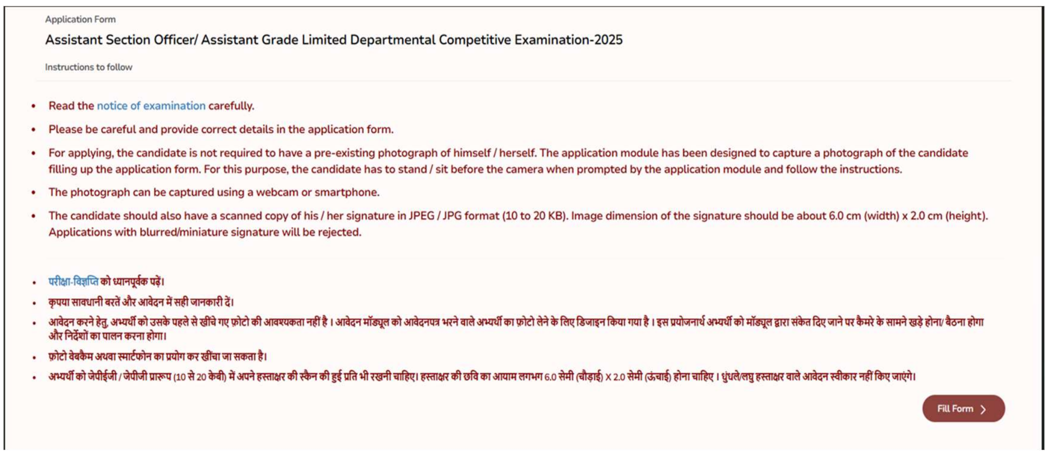
Application Form

Assistant Section Officer/ Assistant Grade Limited Departmental Competitive Examination-2025

Instructions to follow

- Read the notice of examination carefully.
- Please be careful and provide correct details in the application form.
- For applying, the candidate is not required to have a pre-existing photograph of himself / herself. The application module has been designed to capture a photograph of the candidate filling up the application form. For this purpose, the candidate has to stand / sit before the camera when prompted by the application module and follow the instructions.
- The photograph can be captured using a webcam or smartphone.
- The candidate should also have a scanned copy of his / her signature in JPEG / JPG format (10 to 20 KB). Image dimension of the signature should be about 6.0 cm (width) x 2.0 cm (height). Applications with blurred/miniature signature will be rejected.

- परीक्षा-विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- कृपया सावधानी बरतें और आवेदन में सही जानकारी दें।
- आवेदन करने हेतु, अभ्यर्थी को उसके पहले से खींचे गए फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है । आवेदन मॉड्यूल को आवेदनपत्र भरने वाले अभ्यर्थी का फ़ोटो लेने के लिए डिजाइन किया गया है । इस प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी को मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़े होना/ बैठना होगा और निर्देशों का पालन करना होगा।
- फ़ोटो वेबकैम अथवा स्मार्टफोन का प्रयोग कर खींचा जा सकता है।
- अभ्यर्थी को जेपीईजी / जेपीजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति भी रखनी चाहिए। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए । धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

Fill Form >

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
Personal Details
2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II
3 Upload Documents
4 Preview Form
5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Personal Details

Personal Details

Note: Information in columns at S No-1 to 18 will be filled automatically from your One-time Registration Data which is non-editable. However, if you want to modify any of the One-time Registration details, click on 'Edit Registration Details' button provided at the righthand top corner of 'Candidate Dashboard' and make suitable corrections before proceeding further.

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)

2. New / Changed Name:

3. Father's Name:

4. Mother's Name:

5. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate):

6. Age as on 01/07/2025:

7. Gender:

8. Category:

9. Whether a Person with Benchmark Disability (PwBD)?:

9.1. If Yes, Type of Disability:

10. Nationality:

10.1. Contact details for Other Nationals:

11. Visible Mark of Identification:

12. Matriculation (10th Class) Examination Board:

13. Matriculation (10th Class) Year of Passing

14. Matriculation (10th Class) Roll No.:

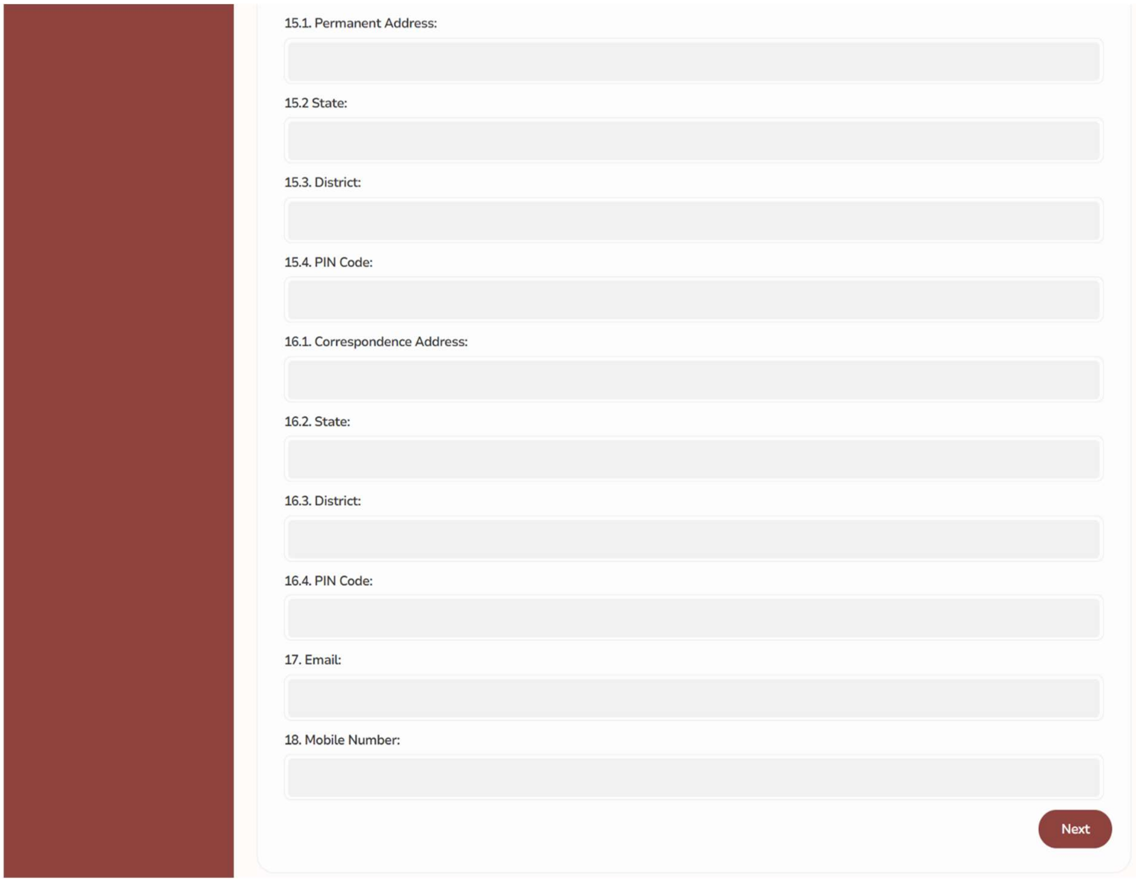
15.1. Permanent Address:
15.2 State:
15.3. District:
15.4. PIN Code:
16.1. Correspondence Address:
16.2. State:
16.3. District:
16.4. PIN Code:
17. Email:
18. Mobile Number:
Next

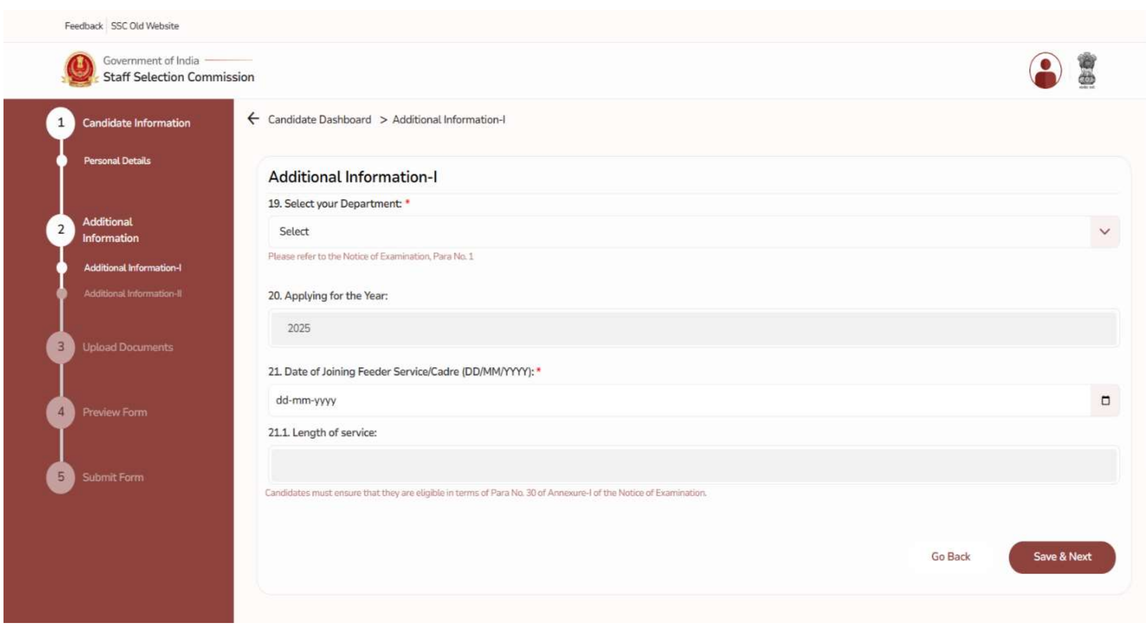
Feedback
SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission
1 Candidate Information
Personal Details
2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II
3 Upload Documents
4 Preview Form
5 Submit Form
Candidate Dashboard > Additional Information-I
Additional Information-I
19. Select your Department: *
Select
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 1
20. Applying for the Year:
2025
21. Date of Joining Feeder Service/Cadre (DD/MM/YYYY): *
dd-mm-yyyy
21.1. Length of service:
Candidates must ensure that they are eligible in terms of Para No. 30 of Annexure-I of the Notice of Examination.
Go Back
Save & Next

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
- Personal Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Additional Information-II

Additional Information-II

22. Examination Center:

Delhi - NCR

23.1. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of blindness (VH)?

Please refer to the Notice of Examination, Para. No. 35(a) of Annexure-I

◯ Yes ◯ No

23.2. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of Cerebral Palsy (CP)?

Please refer to the Notice of Examination, Para. No. 35(a) of Annexure-I

◯ Yes ◯ No

23.3. Do you have a Physical limitation to write as per para 35(b) or 35(c) of the notice (Certificate this effect from competent authority as per format at Annexture-II/ Annexure-III to the Notice of Examination would be required at the time of examination)? *

◯ Yes ◯ No

23.4. Whether support is required in the form of a scribe/ technology/ assistive devices for writing the exam?

Please refer to the Notice of Examination, Para. No.35 of Annexure-I

◯ Yes ◉ No

24. Medium of examination: *

Select

Verify medium of examination: *

Select

25. Name and full Postal Address of the Ministry/ Department/ Office in which you are working at the time of applying:*

25.1. Name and designation of Head of Department:*

25.1.1. Email (gov/nic) of HoD:*

25.1.2. Telephone Number of HoD:*

25.2. Name and designation of Head of Office:*

25.2.1. Email (gov/nic) of HOO:*

25.2.2. Telephone Number of HOO:*

26. Are you a Permanent, Regular or Regularly appointed Temporary SSA under M/o External Affairs (Cadre Cell)/ CSCS of DoPT?*

○ Yes ○ No

27. From which date have you rendered the approved service in the grade of SSA under M/o External Affairs (Cadre Cell)/ CSCS of DoPT (DD/MM/YYYY)?*

mm/dd/yyyy

28.1. Are you holding an Ex-Cadre Post?*

○ Yes ○ No

28.2. Whether the deputation to the Ex-Cadre Post has the approval of the competent authority?

○ Yes ○ No

28.3. Are you holding Ex-Cadre Post on Deputation Basis or on Transfer Basis:

Select

28.4. Do you continue to hold lien on Post of SSA under M/o External Affairs (Cadre Cell)/ CSCS of DoPT? *

○ Yes ○ No

29. Complete details of service (in chronological order) by you till date under Government in different offices and Grades. *

Name Of the Dept/ Office *	Post held & Scale of pay *	State whether post held Permanently/ Probation/ Temporary *	From *	To *
			mm/dd/yyyy	mm/dd/yyyy

Add More

30. Give a list of the documents attached with the application (Para. 11 of Annexure-I) files should be (pdf/jpeg) *

30.1. Document as indicated in Para. 11(i) of Annexure-I *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 11(i) of Annexure-I

Please upload requisite certificate

Choose File No file chosen

30.2. Document as indicated in Para. 11(ii) of Annexure-I *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 11(ii) of Annexure-I

Please upload requisite certificate

Choose File No file chosen

30.3. Document required in case of disability

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 11(iii) of Annexure-I

Please upload requisite certificate

Choose File No file chosen

Go Back Save & Next

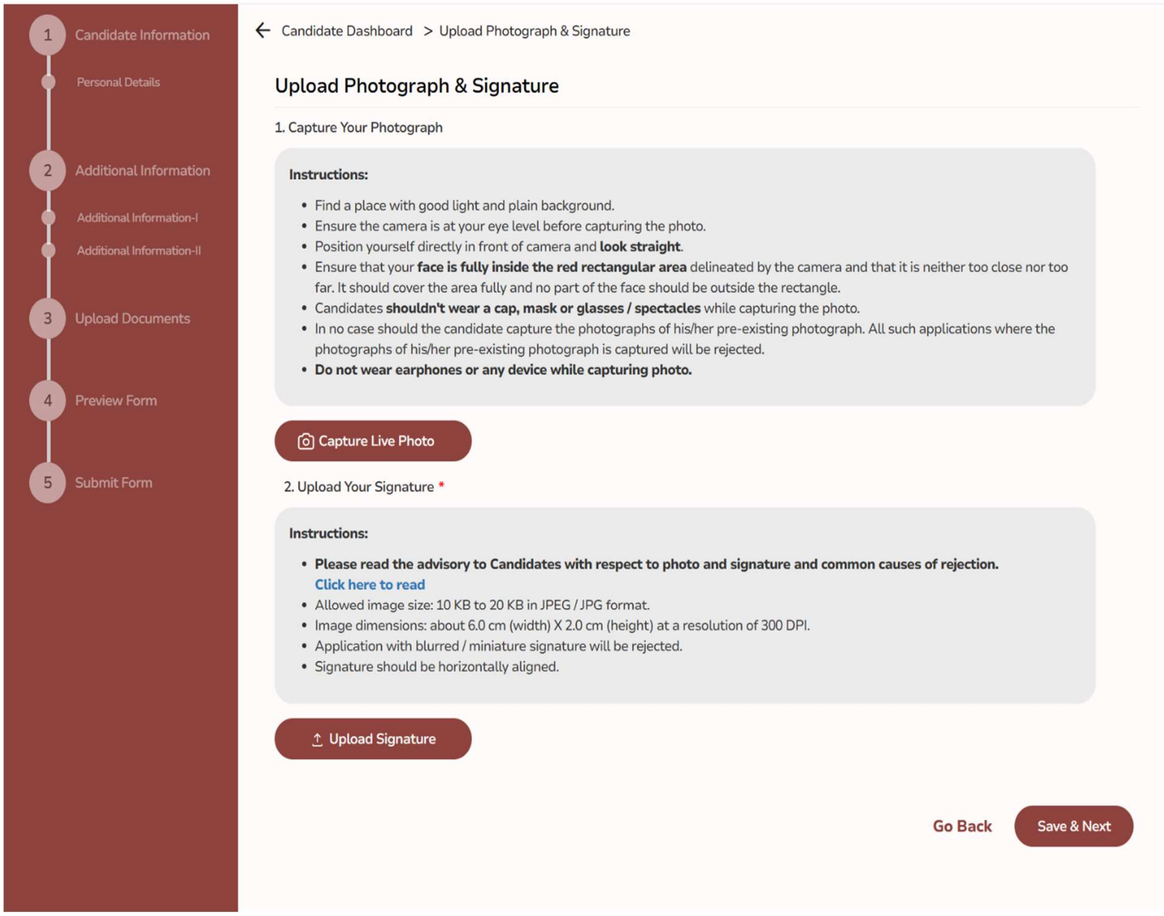
1 Candidate Information
Personal Details
2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II
3 Upload Documents
4 Preview Form
5 Submit Form
Candidate Dashboard > Upload Photograph & Signature
Upload Photograph & Signature
1. Capture Your Photograph
Instructions:
• Find a place with good light and plain background.
• Ensure the camera is at your eye level before capturing the photo.
• Position yourself directly in front of camera and look straight.
• Ensure that your face is fully inside the red rectangular area delineated by the camera and that it is neither too close nor too far. It should cover the area fully and no part of the face should be outside the rectangle.
• Candidates shouldn't wear a cap, mask or glasses / spectacles while capturing the photo.
• In no case should the candidate capture the photographs of his/her pre-existing photograph. All such applications where the photographs of his/her pre-existing photograph is captured will be rejected.
• Do not wear earphones or any device while capturing photo.
Capture Live Photo
2. Upload Your Signature *
Instructions:
• Please read the advisory to Candidates with respect to photo and signature and common causes of rejection.
Click here to read
• Allowed image size: 10 KB to 20 KB in JPEG / JPG format.
• Image dimensions: about 6.0 cm (width) X 2.0 cm (height) at a resolution of 300 DPI.
• Application with blurred / miniature signature will be rejected.
• Signature should be horizontally aligned.
Upload Signature
Go Back
Save & Next

अनुबंध-Vख

Instructions to Candidates for uploading of signatures

1) The major reasons for rejection of signatures are "miniature" signatures. Candidates are advised to cut the box and then sign within the box such that signature occupies at least 80% of the box.

Cut the box & Sign within the box

2) Samples of acceptable and rejected signatures are provided on the next page(Pg No 2). Candidates are advised to review these examples to understand which signatures will be accepted by the Commission and which ones may be rejected.

Signature

1. Good For Approval

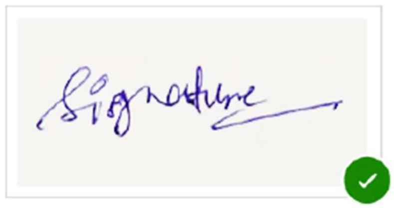

2. Rejected

3) The major reasons for rejection photographs are :

(i) Photo without plain background.

(ii) Candidates wearing caps

(iii) Candidates taking photos without shirts.

(iv) Photo not sufficiently bright.

(v) Photo is blurred

Candidates are advised to follow the instructions while capturing the photo that is displayed on the Website especially ensure plain background and photo is captured in well-lit area.

4) Samples of acceptable and rejected photographs are provided on the next page (**Page No 4**). Candidates are advised to review these examples to understand which photographs will be accepted by the Commission and which ones may be rejected.

अनुबंध-Vड़

Photograph

1. Good For Approval

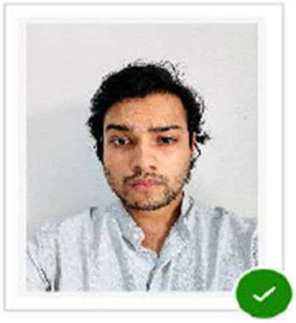

2. Rejected

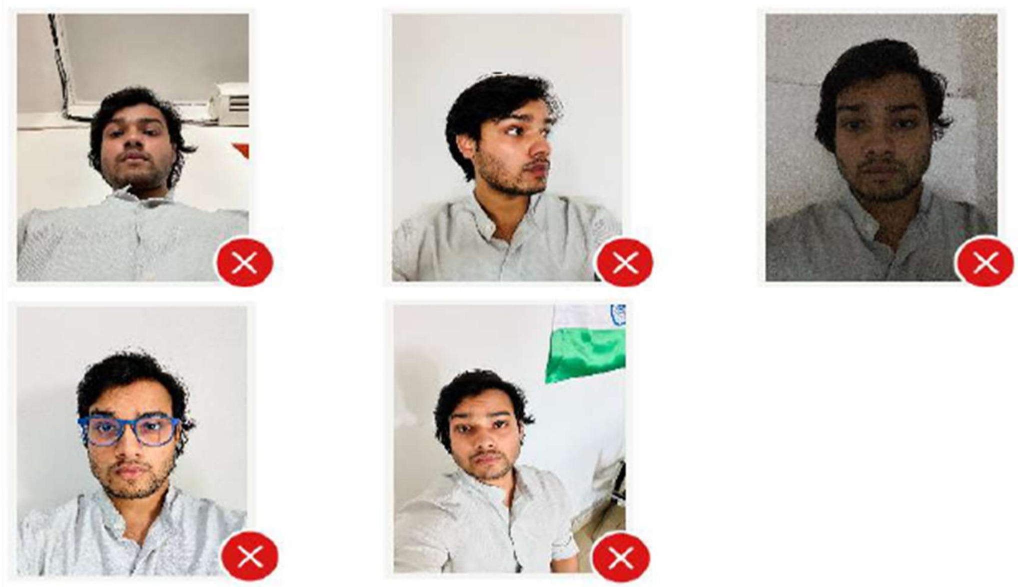

अनुबंध-VI

विभाग अथवा कार्यालय, जिसमें अभ्यर्थी सेवारत है के विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख द्वारा भरे जाने हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि:

(1) श्री/श्रीमती/कुमारी____________________________द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी की उसके सेवा अभिलेख से सत्यापन कर लिया गया है और सही पाया गया है।

(2) उनके सेवा अभिलेखों से यह जांच कर ली गई है कि वह जिस जाति /जनजाति से संबंधित है वह अनुसूचित जाति /जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

(3) ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हैं जिसके तहत वह परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 01 में सूचीबद्ध संगठनों/ विभागों/ मंत्रालयों के सहायक अनुभाग अधिकारी /सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त हैं।

(4) वह परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 01 में सूचीबद्ध संगठनों/ विभागों/ मंत्रालयों में दिनांक ______________________से नियुक्त अस्थायी/ स्थायीवत वरिष्ठ सचिवालय सहायक / प्रवर श्रेणी लिपिक ग्रेड के नियमित अधिकारी हैं और इस पर उनकी नियुक्ति निरंतर है।

(5) सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से वह पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(6) वह "स्थानांतरण" पद पर नियुक्त है और परीक्षा विज्ञप्ति में उल्लिखित पद पर अपना धारणाधिकार (लियन) रखता/ रखती है।

(7) उनके सेवा अभिलेख से यह जांच कर ली गई है कि उन्हें परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 01 में सूचीबद्ध संगठनों/ विभागों/ मंत्रालयों के वरिष्ठ सचिवालय सहायक / प्रवर श्रेणी लिपिक में पुष्टि या निरंतरता के लिए उन्हें आयोग की टंकण परीक्षा पास करने की छूट दी गई है।

(8) उनके सेवा अभिलेखों से यह जांच कर ली गई है कि उन्होंने परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 01 में सूचीबद्ध संगठनों/ विभागों/ मंत्रालयों के वरिष्ठ सचिवालय सहायक / प्रवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में पुष्टि या निरंतरता के उद्देश्य से परीक्षा की अधिसूचना से पूर्व आयोग की टंकण परीक्षा को पास कर लिया है।

(9) अभ्यर्थी की सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति एतद्द्वारा संलग्न है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित **सहायक अनुभाग अधिकारी / सहायक ग्रेड सीमित विभागीय परीक्षा, 2025 की विज्ञप्ति** में उल्लिखित सेवा की अवधि और निर्णायक तिथि को ध्यान में रखते हुए वर्ष **2025** के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है।

(10) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उन्होंने कर्मचारी चयन आयोग को भेजने के लिए अपने आवेदन पत्र को दिनांक_________________________को विभाग/ कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है और यह कि विभाग/ संगठन में उपयुक्त श्रेणी में रिक्ति उपलब्ध है।

(11) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उन्हें किसी भी परीक्षा/चयन के लिए किसी भी लोक सेवा आयोग/ सचिवालय एवं प्रबंधन संस्थान/ अधीनस्थ सेवा आयोग /कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अयोग्य घोषित अथवा वारित नहीं किया गया है।

(12) प्रमाणित किया जाता है कि **अभ्यर्थी अनुमोदित सेवा की गणना हेतु निर्णायक तिथि पर सेवा की अवधि के संबंध में पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।**

हस्ताक्षर________________________________

नाम____________________________________

पदनाम__________________________________

विभाग/कार्यालय__________________________

पूरा डाक पता ____________________________

दिनांक_________________

जो अंश लागू न हों उन्हें काट दें।

नोट-1: अग्रेषण प्राधिकारी अनलाइन आवेदन पत्र के मुद्रित संस्करण में अभ्यर्थी की फ़ोटो पर हस्ताक्षर करे तथा फोटोग्राफ को विकृत किए बिना फोटोग्राफ पर अपनी आधी मुहर एवं ऑनलाइन आवेदन-पत्र के मुद्रित संस्करण पर आधी मुहर लगाए। इसके बिना (आवेदन पत्र के फोटो पर अग्रेषित प्राधिकारी द्वारा मुहर सहित हस्ताक्षर) आवेदन-पत्र को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

नोट-2: अभ्यर्थी का पूर्ण आवेदन जिसे अंतिम तिथि के बाद संगठन/विभाग द्वारा आयोग को प्रेषित किया जाएगा, उसमें संगठन/ विभाग का प्रमाण पत्र कि "अभ्यर्थी द्वारा आवेदन समापन तिथि या उससे पहले विभाग को प्रस्तुत किया गया था" संलग्न करना होगा। तथापि, इस संबंध में उल्लिखित अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोट-3: " सहायक अनुभाग अधिकारी/ सहायक ग्रेड सीमित विभागीय परीक्षा, 2025" की विज्ञप्ति में निर्धारित अभ्यर्थियों की पात्रता सुनिश्चित करना संबंधित विभाग या कार्यालय की जिम्मेदारी होगी।

अनुबंध- VII

फॉर्म -V

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. --------------- दिनांक ---------------

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी------------------------------------सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ---जन्म तिथि ------------------ (दि/म/व) आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला------------- पंजीकरण संख्या ---------- जो मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर -------जिला ------------- राज्य ------------ के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि:-

(क) उनका मामला :

- गतिविषयक दिव्यांगता
- पेशी संबंधी कुपोषण
- अभिसाधित कुष्ठ
- बौनापन
- प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात
- तेजाब हमले के पीड़ित
- अल्प दृष्टि
- नेत्रहीनता
- श्रवण दिव्यांगता
- वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता
- बौद्धिक दिव्यांगता
- विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता
- ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
- मानसिक बीमारी
- चिरकालिक तांत्रिक संबंधी विकार
- मल्टीपल स्लेरोसिस
- पार्किन्सन बीमारी
- हेमोफिलिया
- थेलेसेमिया

- सिकल सेल डिसीज़

(ख) शरीर के प्रभावित भाग का नाम :

(ग) उनके मामले में ....निदान किया गया है।

(घ) उन्हें _____________% (आंकड़ों में)_____________प्रतिशत (शब्दों में) दिव्यांगता है और प्रमाण पत्र का स्वरूप (स्थायी/अस्थायी और दिनांक__________तक वैध है), जैसा कि भारत सरकार द्वारा दिनांक _____________को जारी _________के तहत अधिसूचित दिशनिर्देशों के अनुसार है।

दिव्यांग व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप :

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी सदस्य (सदस्यों) के हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर
प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता:

<u>अनुबंध- VIII</u>

भारत सरकार का लोगो	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार का लोगो	संबंधित संघराज्य क्षेत्र अथवा राज्य का लोगो

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

<u>फॉर्म-VI</u>

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(बहु दिव्यांगता संबंधी मामलों में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. --------------- दिनांक ---------------

प्रमाणित किया जाता है कि हमनें श्री/ श्रीमती / कुमारी-------------------------------- *सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री* --*जन्म तिथि* ------------------ (*दि/म/*व) आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला------------- पंजीकरण संख्या ----------जो मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर -------जिला ------------- राज्य ------------- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और हम संतुष्ट हैं कि:-

(क) उनका मामला बहु निःशक्तता का है। उनकी शारीरिक निःशक्तता/ दिव्यांगता का दिशानिर्देशों .... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	दिव्यांगता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	दिव्यांगता प्रतिशत
1.	गति विषयक दिव्यांगता			
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि			
8.	नेत्रहीनता			
9.	श्रवण दिव्यांगता			

10.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
11.	बौद्धिक दिव्यांगता			
12.	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता			
13.	ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार			
14.	मानसिक बीमारी			
15.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
16.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
17.	पार्किन्सन बीमारी			
18.	हेमोफिलिया			
19.	थेलेसेमिया			
20.	सिकल सेल डिसीज़			

(नोट: केवल निदान की गई दिव्यांगताओं को ही सूचीबद्ध किया जाएगा।)

(ख) उन्हें ______________% (आंकड़ों में) ___________ (शब्दों में) समग्र दिव्यांगता है और प्रमाण पत्र का स्वरूप (स्थायी/अस्थायी और ________ तक वैध) है।

दिव्यांग व्यक्ति के अंगूठे का निशान/हस्ताक्षर:

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी सदस्य (सदस्यों) के हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर:

प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता: